

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1479/2012/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-डी, जोधपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स वीणा एन्टरप्राइजेज  
जोधपुर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी. ओझा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 12/आरवैट/जेयूडी/11-12 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डी, जोधपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25(4)/24, 55, 58, 61 एवं 64 के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिये पारित आदेश में आरोपित कर रुपये 35,51,009/-, ब्याज रुपये 10,39,961/- तथा शास्ति रुपये 71,28,342/- कुल रुपये 1,17,19,312/- को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण सक्षम-अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म मोलासेज (Molasses) का कारोबार करती है तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी ए.ई. जोधपुर द्वारा उसका सर्वेक्षण दिनांक 17.12.2008 को किया गया तथा उसकी लेखा पुस्तकें व कुछ अन्य दस्तावेज अभिग्रहीत किये गये थे। जांच पश्चात् यह पाया गया था कि फर्म द्वारा manually prepared bills के अलावा computer generated bills जो कि अलग क्रमांक सीरीज के भी जारी किये गये थे जिनका लेखा पुस्तकों में



लगातार.....2



इन्द्राज नहीं पाया गया जिस पर सक्षम अधिकारी ने कर रूपये 75,317/-, ब्याज रूपये 25,777/- तथा शास्ति रूपये 1,50,634/- आरोपित की। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा गुजरात स्थित फर्म मैसर्स खेडूत सहकारी खाण्ड उद्योग मण्डली लिमिटेड पाण्डवी के बिल संख्या 414 दिनांक 03.11.2008 बिल्टी संख्या 202 दिनांक 03.11.2008 के जरिये टैंकर संख्या आर. जे.-23जीए-0508 से "मोलासेज" मंगवाया जाकर इसकी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अन्तर्गत sale in transit बिक्री दिनांक 14.12.2008 को दर्शायी गयी थी। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त तथाकथित sale in transit को अस्वीकार करते हुए इसे राज्य के भीतर बिक्री मानते हुए इस पर कर, ब्याज एवं धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई। इसके अतिरिक्त धारा 64 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 22,325/- भी आरोपित की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF) के विभिन्न संयंत्रों को एक अनुबन्ध के तहत मोलासेज (Molasses) की सप्लाई को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत sale in transit नहीं मानते हुए इसे स्थानीय बिक्री अवधारित करते हुए इस पर कर, ब्याज तथा धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई। इस प्रकार विवादित कर निर्धारण आदेश द्वारा कर रूपये 35,51,009/-, ब्याज रूपये 10,39,961/- तथा शास्ति रूपये 71,28,342/- कुल रूपये 1,17,19,312/- का आरोपण किया गया था।

3. सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 23.04.2012 को करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा (i) कम्प्यूटर जनित बिक्री बिलों के सम्बन्ध में आरोपित कर, ब्याज तथा शास्ति की पुष्टि की गई, (ii) धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति में से रूपये 4,000/- की शास्ति की पुष्टि की गई तथा रूपये 22,325/- की शास्ति को अपास्त किया गया, तथा (iii) धारा 6(2) की तथाकथित बिक्री को अमान्य करते हुए आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त करते हुए विशिष्ट निर्देशों के साथ जांच एवं सुनवाई पश्चात् पुनः आदेश प्रसारित करने हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील धारा 83 के अन्तर्गत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा RCDF के विभिन्न Cattle Feed Plants को मोलासोज (Molasses) की आपूर्ति की गई थी परन्तु बिक्री संव्यवहारों को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम

31



की धारा 6(2) के अन्तर्गत sale in transit दिखाते हुए करवंचना की है अतः इस पर जो कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है वह विधिसंमत है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि एक टैंकर मोलोसज (Molasses) का sale in transit का इनवॉइस माल रवाना होने के 40 दिन बाद में बनाया गया है अतः यह सम्भव ही नहीं है कि प्रश्नगत माल इतने दिनों तक transit में ही रहा हो अतः जो कर एवं शास्ति आरोपण किया गया है व पूर्णतः उचित है। उन्होंने इन आधारों पर अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत माल मोलासेज (Molasses) Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF) से प्राप्त आपूर्ति आदेश की पालना में ही क्रेता व्यवसायी के Cattle Feed Plants तक डिलीवर करने सम्बन्धी बाध्यता के कारण माल डिलीवर पॉइन्ट से पहले कहीं भी अनलोड किये जाने के प्रावधान उक्त अनुबन्ध में थे। इसके अलावा शर्तों में यह भी प्रावधान था कि बिल्टि में किसी भी तरह की कांट-छांट या बदलाव नहीं किया जावेगा। उनका यह भी कथन है कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों की विधिवत जांच एवं उनका सत्यापन नहीं किया गया तथा मात्र तकनीकी एवं आधे-अधूरे तथ्यों के आधार पर ही धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री को अमान्य करते हुए कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है जो कि विधिसंमत नहीं है, अतः उन्होंने राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।
6. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि जांच अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा तथ्यों की समग्र परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की गई है अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश उचित प्रतीत होते हैं कि सक्षम अधिकारी RCDF कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त करे तथा यदि यह प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा माल के परिवहन के दौरान कोई क्रय नहीं किया गया है एवं माल की डिलीवरी अपीलार्थी (जो कि प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी है) द्वारा ही ली जाकर इसकी सुपुर्दगी RCDF के गोदाम में दी गई हो, तब ही वह धारा 6(2) की बिक्री को अनियमित घोषित करे। साथ ही यह निर्देश भी उचित प्रतीत होते हैं कि यदि सम्पूर्ण संव्यवहार से यह प्रमाणित हो कि RCDF द्वारा परिवहन के दौरान दस्तावेजों के स्वामित्व हस्तान्तरण की अनुमति देते हुए उनके द्वारा परिवहन के दौरान ही माल का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है तो ऐसी दशा में यह समस्त विक्रय धारा 6(2) के अधीन माना जाये। इसी


31


4



प्रकार एक टैंकर मोलासेज (Molasses) जो बिल संख्या 3462 दिनांक 14.12.2008 से सम्बन्धित था, की भी विस्तृत जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है।

7. चूंकि प्रस्तुत अपील में मुख्य विवादित बिन्दू यह है कि RCDF को की गई मोलासेज (Molasses) की आपूर्ति अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में CST Act की धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री थी अथवा यह राज्य के भीतर की गई बिक्री थी, तथा इसकी विस्तृत जांच एवं परीक्षण पश्चात् नियमानुसार पुनः आदेश पारित करने हेतु जो आदेश अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया है, वह पूर्णतः उचित है। अतः इसकी पुष्टि की जाती है।
8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।

  
04.04.2018  
(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य

  
(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य